A/o 281

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

Employees Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA)

सत्यमेव जयते

मुख्य कार्यालय/Head Office

प्लेट ए, ग्राउंडफ्लोर, ब्लॉक-II, ईस्ट किदवई नगर,नई दिल्ली-110023

Plate A, Ground Floor, Block II, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023

Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं. कभनिसं./मुख्या./भर्ती/प्रतिनियुक्ति/विज्ञा.-04/2025/ले.परी./ई-1129743/15524 दिनांक: 30.01.2026

नियुक्ति प्रस्ताव

विषय: श्री गिरिचन्द एन., वरिष्ठ लेखाकार की कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रतिनियुक्ति के आधार पर सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्ति।

सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हेतु गठित स्क्रीनिंग सह चयन समिति की सिफारिश के आधार पर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में, श्री गिरिचन्द एन., वरिष्ठ लेखाकार को सहा. लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल-7 [वेतन बैंड-2 रु. 9300-34800 ग्रेड पे रु. 4600 / - (पूर्व संशोधित)] में प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी किया जाता है, जिसकी अवधि प्रारंभ में लेखा परीक्षक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए होगी।

2. **प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति की शर्तें एवं नियम इस प्रकार हैं:-**

(i) प्रतिनियुक्ति की शर्तें और नियम कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/229/91-स्था./(वेतन II) दिनांक 05.01.1994 कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था.((वेतन II) दिनांक 17.06.2010 तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों/ज्ञापन द्वारा अभिशासित होंगे।

(ii) लेखा परीक्षक के रूप में अधिकारी की तैनाती हैदराबाद में होगी। हालाँकि, कार्मिक को प्रशासनिक आधार पर किसी अन्य कभनिसं. कार्यालय में स्थानांतरित किया जा सकता है।

(iii) नियुक्ति आदेश संबंधित कार्मिकों द्वारा उपर्युक्त नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रस्ताव स्वीकार करने के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त होने के बाद जारी लिया जाएगा।

(iv) वह नियमानुसार टीए/डीए और कार्यभार ग्रहण समय के पात्र होंगे।

(v) पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, प्रतिनियुक्ति अवधि की समाप्ति की तिथि पर प्रतिनियुक्त अधिकारी को कार्यमुक्त माना जाएगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी अपेक्षित अनुमोदन सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति तिथि से पूर्व लिखित रूप में विस्तारित न करदे।

(vi) यदि कोई अधिकारी किसी भी कारण से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रुकता है, तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी तथा अन्य प्रतिकूल परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें यह शामिल है कि अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि को पेंशन के उद्देश्य के लिए सेवा में नहीं गिना जाएगा तथा अनधिकृत रूप से अधिक समय तक रुकने की अवधि के दौरान देय कोई भी वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से उस तिथि तक स्थगित कर दी जाएगी, जिस तिथि को अधिकारी अपने मूल कैडर में वापस आ जाता है।

3. यदि उपर्युक्त नियम एवं शर्तें स्वीकार्य हैं, तो श्री गिरिचन्द एन., वरिष्ठ लेखाकार अपनी लिखित सहमति और सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र कार्यालय को इस ईमेल पते rpfc.exam@epfindia.gov.in पर नियुक्ति के इस प्रस्ताव की प्राप्ति के **10 दिनों** के भीतर भेज दें।

[यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है]

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)
क्षे.भ.नि.आ-II (भर्ती)

सेवा में,

श्री गिरिचन्द एन., वरिष्ठ लेखाकार
(महाप्रबंधक का कार्यालय (वित्त), डाक खाते गुजरात मण्डल, अहमदाबाद - 380001 के माध्यम से)

प्रतिलिपि (कभनिसं वेबसाइट के माध्यम से)-

1. कें.भ.नि.आ. के निजी सचिव।
2. वि. सला. एवं मु. ले. अधि. /मु. सत. अधि./सभी अ. कें.भ.नि.आ. (मुख्या.)(मुख्यालय एवं अंचल/ निदेशक (पीडीनास)/ के निजी सचिव।
3. मुख्यालय/अंचल के सभी अ. कें.भ.नि.आ।
4. मुख्या अभियन्ता/ मुख्य सूचना एवं सुरक्षा अधिकारी।
5. क्षे.भ.नि. आयुक्त (प्र.से.प्रा.) और क्षे.भ.नि. आयुक्त(एनडीसी) सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रभारी।
6. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
7. सभी उप-निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखा दल।
8. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान/उप-आं.प्र.सं.।
9. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी एसोसिएशन, लुधियाना।

दीपक आर्य
(दीपक आर्य)
क्षे.भ.नि.आ-II (भर्ती)